Drishti IAS

# करेंट अफेयर्स

## मध्य प्रदेश

(संग्रह)

## जनवरी 2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

# अनुक्रम


**मध्य प्रदेश** **3**

- मध्य प्रदेश के रिज़र्व में बाघिन मृत पाई गई 3
- मध्य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन 3
- गाँव ने यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट को जलाने से मना किया 5
- उच्च न्यायालय ने जंगली हाथियों पर सुनवाई स्थगित 5
- मध्य प्रदेश ने TWARIT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया 7
- पेंच टाइगर रिज़र्व में बेनामी लेनदेन 11
- NMDC द्वारा टाइगर रिज़र्व के पास हीरा उत्खनन 12
- स्थानांतरण नीति (संशोधन), 2025 13



**दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें**

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME


**नोट :**

# मध्य प्रदेश

## मध्य प्रदेश के रिज़र्व में बाघिन मृत पाई गई

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के **पेंच टाइगर रिज़र्व ( PTR )** में **चार साल की बाघिन** का शव मिला। अधिकारियों को संदेह है कि उसकी मौत का कारण **अवैध शिकार** हो सकता है।

### प्रमुख बिंदु

- **शव की खोज:**
  - यह शव पेंच टाइगर रिज़र्व (PTR) के **कुरई क्षेत्र** में पाया गया।
  - अधिकारियों ने पुष्टि की कि **बाघिन की मौत विद्युत् का झटके** लगने से हुई।
- **अवैध शिकार की जाँच:**
  - इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा अधिकारी घटना में शामिल अज्ञात शिकारियों को गिरफ्तार करने के लिये प्रयास कर रहे हैं।
  - प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि शिकारियों ने **बाघिन के पंजे काटने का असफल प्रयास** किया था।
  - पोस्टमार्टम के बाद शव का **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ( NTCA )** के दिशा-निर्देशों के अनुसार निपटान कर दिया गया।

### पेंच टाइगर रिज़र्व ( PTR )

- PTR **मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र** दोनों का संयुक्त गौरव है।
- यह **अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा ज़िलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर** पर स्थित है, तथा **महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले** में एक अलग रिज़र्व के रूप में फैला हुआ है।
  - इसे वर्ष 1975 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा **राष्ट्रीय उद्यान** घोषित किया गया तथा वर्ष 1992 में इसे **टाइगर रिज़र्व** का दर्जा दिया गया।
  - हालाँकि, PTR **मध्य प्रदेश को वर्ष 1992-1993 में यही दर्जा दिया गया था।** यह **मध्य उच्चभूमि के सतपुड़ा-मैकाल पर्वतमाला के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों** में से एक है।
- यह भारत के **महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों ( IBA )** के रूप में अधिसूचित स्थलों में से एक है।

IBA बर्डलाइफ इंटरनेशनल का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विश्व के पक्षियों और उनसे संबंधित विविधता के संरक्षण के लिये **IBA के वैश्विक नेटवर्क की पहचान, निगरानी और सुरक्षा** करना है।

## मध्य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन

### चर्चा में क्यों ?

**जनजातीय कार्य मंत्रालय ( MoTA )** ने मध्य प्रदेश में **रानी दुर्गावती टाइगर रिज़र्व** के आसपास **वन अधिकारों की गैर-मान्यता** और बलपूर्वक स्थानांतरण के प्रयासों के संबंध में 52 गाँवों की याचिकाओं और शिकायतों का संज्ञान लिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

## प्रमुख बिंदु

- **प्रतिबंध और MoTA के निर्देश:**
  - ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सितंबर 2023 में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व की अधिसूचना के बाद वन अधिकार दावों को अस्वीकार कर दिया गया और जबरन स्थानांतरण किया गया, जो **वन अधिकार अधिनियम ( FRA ) 2006** और **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ( WLPA ) 1972** का उल्लंघन है।
  - ग्रामीणों ने वन संसाधनों, उपज और खेतों तक पहुँच पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया।
  - जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्र में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि **समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित करना उल्लंघन है** तथा सलाह दी गई कि राज्य वन विभागों और ज़िला कलेक्टरों के परामर्श से मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिये।
  - पत्र में **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,** ज़िला कलेक्टरों और **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण** को भी उचित कार्यवाही और सामुदायिक हितों की सुरक्षा के लिये निर्देशित किया गया।
- **स्थानांतरण के लिये कानूनी ढाँचा:**
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम **बाघ संरक्षण के लिये 'अछूते' क्षेत्रों के निर्माण की अनुमति** देता है, लेकिन ऐसा केवल **जनजातीय और वन-निवास समुदायों के अधिकारों** को मान्यता देने और उनका समाधान करने के बाद ही किया जा सकता है।
  - **ग्रामीणों का पुनर्वास स्वैच्छिक रूप से तभी हो सकता है** जब FRA और WLPA दोनों के अनुसार उनके अधिकारों को मान्यता दे दी जाए।
  - जनजातीय कार्य मंत्रालय ने महत्त्वपूर्ण वन्यजीव आवासों के स्थानांतरण संबंधी निर्णयों में **ग्राम सभा की सहमति और सामुदायिक भागीदारी** के महत्त्व पर बल दिया।

## वन अधिकार अधिनियम, 2006

- इसे वनों में रहने वाले **अनुसूचित जनजातियों** और अन्य **पारंपरिक जनजातियों को वन भूमि** पर औपचारिक रूप से वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देने और प्रदान करने के लिये पेश किया गया था, जो पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे हैं, भले ही उनके अधिकारों को आधिकारिक तौर पर अभिलिखित नहीं किया गया हो।
- इसका उद्देश्य औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक भारत की वन प्रबंधन नीतियों के कारण वन-निवासी समुदायों द्वारा सामना किये गए **ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना था, जो वनों के साथ उनके दीर्घकालिक सहजीवी संबंधों को स्वीकार करने में विफल रहे।**
- इसके अतिरिक्त, अधिनियम का उद्देश्य **जनजातियों** को वन संसाधनों तक पहुँच और उनका स्थायी उपयोग करने, जैवविविधता और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देने तथा उन्हें गैरकानूनी स्थानांतरण और विस्थापन से बचाने के लिये उन्हें सशक्त बनाना था।

## वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, 1972

- **यह वन्यजीवों और पादपों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण**, उनके आवासों के प्रबंधन, वन्यजीवों, पादपों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- अधिनियम में **उन पादपों और वन्यजीवों की अनुसूचियाँ भी सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें सरकार द्वारा अलग-अलग स्तर पर संरक्षण और निगरानी** प्रदान की जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

**नोट :**

- वन्यजीव अधिनियम द्वारा **CITES ( वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय )** में भारत का प्रवेश आसान बना दिया गया।

## गाँव ने यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट को जलाने से मना किया

### चर्चा में क्यों ?

भोपाल स्थित **यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ( UCIL )** संयंत्र से निकलने वाले खतरनाक अपशिष्ट के निपटान को लेकर विवाद उस समय चर्चा में आ गया है, जब **खतरनाक सामग्री** को जलाने के लिये मध्य प्रदेश के पीथमपुर शहर के **तारपुरा गाँव** में ले जाया गया है।

### मुख्य बिंदु

- **खतरनाक अपशिष्ट स्थानांतरण:**
- **UCIL भोपाल संयंत्र** से **337 मीट्रिक टन विषाक्त अपशिष्ट** को निपटान के लिये **पीथमपुर** ले जाया गया है।
- **कंटेनरों को एक निजी उपचार, भंडारण** और **निपटान सुविधा** में पार्क किया जाता है।
- **विरोध और विरोध:**
- स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और कार्यकर्त्ताओं ने अपशिष्ट को जलाने का विरोध किया है।
- इस क्षेत्र में आम हड़ताल का कारण **पर्यावरण क्षरण, भूजल प्रदूषण** और **अपर्याप्त नियामक** उपायों जैसी समस्याएँ हैं।
- **सरकार की प्रतिक्रिया:**
- धार ज़िला प्रशासन ने चिंताओं को दूर करने के लिये जागरूकता अभियान शुरू किया है।
- इसमें किसान, श्रमिक और औद्योगिक संघ शामिल हैं तथा पर्यावरण मानदंडों के पालन पर ज़ोर दिया जाता है।
- **स्थानीय पर्यावरणीय चुनौतियाँ:**
- पीथमपुर का औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक प्रदूषित है, जिससे वायु, जल और मृदा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
- **भूजल में लवणता** बढ़ने और इससे संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जैसे त्वचा संबंधी समस्याएँ होने की रिपोर्टें।

### भोपाल गैस त्रासदी 1984

- **भोपाल गैस त्रासदी** औद्योगिक दुर्घटनाओं के इतिहास में सबसे गंभीर घटनाओं में से एक मानी जाती है, जो **2-3 दिसंबर 1984** की रात मध्य प्रदेश के भोपाल में **यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ( UCIL )** के **कीटनाशक संयंत्र** में घटित हुई थी।
- कई व्यक्तियों और जानवरों ने इस अत्यधिक विषैले गैस **मिथाइल आइसोसाइनेट ( MIC )** के संपर्क में आकर तत्काल और दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव अनुभव किया, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु भी हुई।

## उच्च न्यायालय ने जंगली हाथियों पर सुनवाई स्थगित

### चर्चा में क्यों ?

**मध्य प्रदेश ( MP ) उच्च न्यायालय** की खंडपीठ ने एक **जनहित याचिका ( PIL )** की सुनवाई स्थगित कर दी।

- **जनहित याचिका में छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर** घूमने वाले जंगली हाथियों के संरक्षण और उचित देखभाल की मांग की गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

# हाथी अभयारण्य

## तथ्य

- भारत में तमिलनाडु और असम में हाथी अभयारण्य/एलीफेंट रिज़र्व की संख्या सबसे अधिक (5) है।
- भारतीय हाथी *(Elephas maximus)* को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और CITES के परिशिष्ट I में शामिल किया गया है।
- भारतीय हाथी को प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय के परिशिष्ट I और IUCN रेड लिस्ट में 'लुप्तप्राय/संकटग्रस्त' (Endangered) के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है।
- वर्ष 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था।
- MoEFCC हाथी परियोजना/प्रोजेक्ट एलीफेंट के माध्यम से देश के प्रमुख हाथी रेंज राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। हाथी परियोजना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

## मुख्य बिंदु

- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले को सुनवाई कर रही नियमित पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
  - **मुख्य न्यायाधीश** की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया था कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के वनों में प्रवेश करने वाले जंगली हाथियों के संरक्षण और कल्याण के संबंध में याचिका में उठाए गए मुद्दों की जाँच के लिये एक **अध्यक्ष** और **छह विशेषज्ञों की** एक समिति गठित की गई थी।
- याचिकाकर्त्ता ने न्यायालय के समक्ष जंगली हाथियों के नियंत्रण में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तुत की।
  - राज्य सरकार ने याचिकाकर्त्ता के सुझाव के अनुसार राज्य के बाहर के विशेषज्ञों से परामर्श करने के लिये समय मांगा।
- पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्त्ता ने **बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व क्षेत्र** में **11 जंगली हाथियों की मौत का मुद्दा उठाते हुए** कहा था कि जंगली हाथियों को नियंत्रित करने के लिये मध्य प्रदेश में कोई विशेषज्ञ नहीं है।

## बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व

- **यह मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले** में स्थित है और **विंध्य पहाड़ियों** पर विस्तृत है।
  - यह ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, जिसका प्रमाण प्रसिद्ध **बांधवगढ़ किले** के साथ-साथ संरक्षित क्षेत्र में मौजूद अनेक गुफाएँ, शैलचित्र और नक्काशी है।
- 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा 1993 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया।
- यह **रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिये जाना जाता है।**
  - अन्य महत्त्वपूर्ण शिकार प्रजातियों में **चीतल, सांभर, काकड़ ( भौंकने वाला हिरण ), नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर, चौसिंघा, लंगूर और रीसस मकाक शामिल हैं।**
  - **बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया** और **सियार** जैसे प्रमुख शिकारी इन पर निर्भर हैं।

# मध्य प्रदेश ने TWARIT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

## चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने वारंट और समन के प्रसारण को सुव्यवस्थित करने के लिये **TWARIT ( ट्रांसमिशन ऑफ वारंट, समन, एंड रिपोर्ट्स बाय इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ) नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है। यह प्लेटफॉर्म न्यायाधीशों को केस की स्थिति की ऑनलाइन कुशलतापूर्वक निगरानी करने की भी अनुमति देता है।**

## मुख्य बिंदु

- इस मंच का उद्देश्य **पारंपरिक कागज-आधारित प्रणाली को प्रतिस्थापित करना है,** जिससे कानूनी कार्यवाही तेज और अधिक कुशल हो सके।
- इस पहल के कार्यान्वयन से न्यायिक **प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो जाती है,** देरी कम हो जाती है तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अदालतों और जनता का समय बचता है।
- इस **प्रणाली से न्याय वितरण तंत्र** की समग्र दक्षता में सुधार होने की आशा है, विशेष रूप से बड़ी संख्या में कानूनी मामलों को निपटाने में।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

# भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023

BNS 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया, जिसमें 358 धाराओं (IPC की 511) को शामिल किया गया, IPC के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया, नए अपराधों को पेश किया गया, न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया और विभिन्न अपराधों के लिये दंड को बढ़ाया गया।

## शामिल नवीन अपराध

- **विवाह का वादा:** विवाह करने के "झूठे/मिथक" वादे को अपराध घोषित करना
- **मॉब लिंचिंग:** मॉब लिंचिंग और हेट-क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध करना
- सामान्य आपराधिक कानून अब **संगठित अपराध** और **आतंकवाद** को कवर करता है, जिसमें UAPA की तुलना में BNS में आतंक का वित्तपोषण करना शामिल है।
- **आत्महत्या का प्रयास:** किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्त्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध माना गया है।
- **सामुदायिक सेवा:** इसमें चिकित्सा सेवा/सामुदायिक सेवा को सज़ा के रूप में जोड़ा गया है।

## अन्य संशोधन

- **फेक न्यूज़:** झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना अपराध है
- **राजद्रोह:** व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम 'देशद्रोह' के साथ पेश किया गया
- **अनिवार्य न्यूनतम सजा:** कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है
- **सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान:** श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाना (यानी क्षति की मात्रा के अनुरूप जुर्माना)
- **लापरवाही से मौत:** लापरवाही से मौत की सजा को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया (डॉक्टरों के लिये - 2 वर्ष की कैद)

## विलोपन

- **अप्राकृतिक यौन अपराध:** IPC की धारा 377, जो अन्य "अप्राकृतिक" यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से निरस्त कर दी गई
- **व्यभिचार:** शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया
- **ठग:** IPC की धारा 310 पूर्ण रूप से हटा दी गई
- **लैंगिक तटस्थता:** बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिये संशोधित किया गया है

## प्रमुख मुद्दे

- **आपराधिक उत्तरदायित्व आयु विसंगति:** आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु सात वर्ष बनी हुई है, आरोपी की परिपक्वता के आधार पर इसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं के अनुरूप नहीं है।
- **बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियाँ:** BNS2 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। बच्चों के विरुद्ध कई अपराधों के लिये आयु सीमा भिन्न होती है, जिससे असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC प्रावधानों को बरकरार रखना:** BNS2 ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है जैसे कि बलात्कार के अपराध को लैंगिक तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना।

Drishti IAS

- यह प्रणाली संबंधित व्यक्तियों या पक्षों को **न्यायालयी सम्मन** और **गिरफ्तारी वारंट** सहित **कानूनी दस्तावेज़ों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की अनुमति देती है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों ( भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय दंड संहिता, 2023 ) के कार्यान्वयन** के संबंध में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री के कार्यालय में एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।
- **बैठक में पुलिस, जेल, न्यायालय, अभियोजन** और **फोरेंसिक सेवाओं** से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।

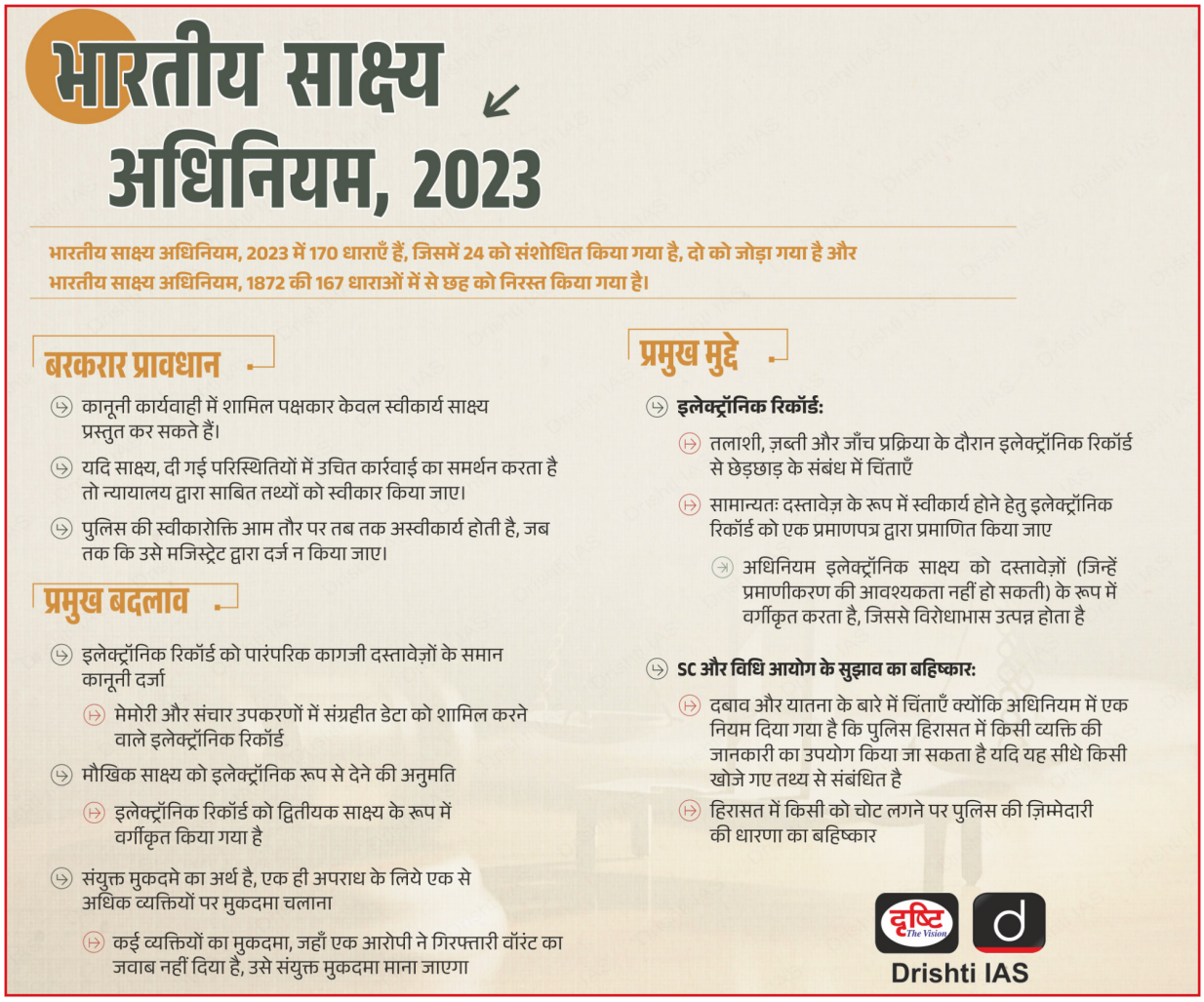


## नए आपराधिक कानून

- **उद्देश्य:**
  - नए कानूनों का उद्देश्य **औपनिवेशिक युग की सजाओं के स्थान पर न्याय-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना है तथा** पुलिस जाँच और न्यायालयी प्रक्रियाओं में तकनीकी प्रगति को एकीकृत करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

# भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023

**BNSS ने CrPC 1973 को प्रतिस्थापित किया है और इसमें 531 धाराएँ हैं जिनमें 177 धाराएँ संशोधित की गईं, 9 नई धाराएँ जोड़ी गईं और 14 धाराएँ निरस्त की गई हैं।**

## मुख्य प्रावधान

- **न्यायालयों का पदानुक्रम:** मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों की विशिष्टता और भूमिका को समाप्त कर दिया गया
- **इलेक्ट्रॉनिक मोड का अनिवार्य उपयोग:** जाँच, पूछताछ और परीक्षण के चरणों में
- **विचाराधीन कैदियों की हिरासत:** गंभीर अपराधों के आरोपियों के लिये व्यक्तिगत ज़मानत पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया है।
- **गिरफ्तारी का विकल्प:** किसी आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है; इसके बजाय यदि आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते हैं, तो पुलिस सुरक्षा जमानत की मांग कर सकती है।
- **सामुदायिक सेवा की परिभाषा:** 'वह कार्य जिसे अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकती है, जिससे समुदाय को लाभ होता है, उसके लिये वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।'
- **शब्दावली का प्रतिस्थापन:** अधिकांश प्रावधानों में "मानसिक बीमारी" का स्थान "विकृत चित्त" ने ले लिया है
- **दस्तावेज़ीकरण प्रोटोकॉल:** वारंट के साथ/बिना तलाशी के लिये अनिवार्य ऑडियो-वीडियो दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें रिकॉर्ड की गई सामग्री तुरंत मजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है
- **प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा:** विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा निर्धारित करता है
  - जैसे बहस के बाद 30 दिनों के भीतर फैसला जारी करना
- **चिकित्सा परीक्षण:** कुछ मामलों में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जा सकता है
- **नमूना संग्रह:** मजिस्ट्रेट नमूना हस्ताक्षरों या लिखावट (specimen signatures) आदेशों से आगे बढ़कर, उन व्यक्तियों से भी, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनकी उंगली के निशान और आवाज़ के नमूने एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **फोरेंसिक जांच:** ≥ 7 वर्ष की कैद वाले दंडनीय अपराधों के लिये अनिवार्य
- **FIR पंजीकरण के संबंध में नई प्रक्रियाएँ:**
  - ज़ीरो FIR दर्ज करने के बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन को इसे आगे की जाँच के लिये क्षेत्राधिकार के अनुसार उपयुक्त स्टेशन में स्थानांतरित करना होगा
  - FIR इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जा सकती है और जानकारी आधिकारिक तौर पर 3 दिनों के भीतर व्यक्ति के हस्ताक्षर पर दर्ज की जाएगी
- **पीड़ित/सूचनाकर्त्ता के अधिकार**
  - पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पीड़ित को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे।
  - राज्य सरकार द्वारा गवाह सुरक्षा योजना निर्धारित की जाएगी

## प्रमुख मुद्दे

- शुरुआती 40 या 60 दिनों के भीतर 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति दी गई है
- यह पुलिस हिरासत की मांग करते समय जाँच अधिकारी को कारण बताने का आदेश नहीं देती है
- उच्चतम न्यायालय के फैसलों और NHRC दिशानिर्देशों के विपरीत, गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी के उपयोग की अनुमति देती है
- एकाधिक आरोपों के मामले में अनिवार्य जमानत का दायरा सीमित है
- भारत में प्ली बार्गेनिंग को सेंटेंस बार्गेनिंग तक सीमित करता है
- संपत्ति जब्त करने की शक्ति का विस्तार चल संपत्ति के अलावा अचल संपत्ति तक भी किया गया है
- कई प्रावधान मौजूदा कानूनों से मेल खाते हैं
- BNSS2 सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित CrPC प्रावधानों को बरकरार रखता है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या परीक्षण प्रक्रियाओं और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को एक ही कानून के तहत विनियमित किया जाना चाहिये या अलग से संबोधित किया जाना चाहिये।

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नए अपराध:**
  - नए अपराधों में **आतंकवाद, भीड़ द्वारा हत्या, संगठित अपराध** तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिये बढ़ी हुई सज़ाएं शामिल हैं।

## पेंच टाइगर रिज़र्व में बेनामी लेनदेन

### चर्चा में क्यों ?

**आयकर विभाग** की **बेनामी निषेध इकाई ( BPU ) ने** मध्य प्रदेश के **पेंच टाइगर रिज़र्व** में तीन बेनामी लेनदेन का पता लगाया।

### मुख्य बिंदु

- **बेनामी लेनदेन का विवरण:**
  - दो बेनामी लेन-देन में मौजूदा रिसॉर्ट वाली भूमि शामिल थी, जबकि तीसरा लेन-देन रिसॉर्ट के लिये इच्छित भूमि से संबंधित था।
  - **आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई ( BPU ) ने बेनामी लेनदेन ( निषेध ) संशोधन अधिनियम 2016** के तहत तीनों संपत्तियों का पता लगाया और उन्हें कुर्क कर लिया।
    - मध्य प्रदेश बेनामी संपत्ति कुर्क करने में देश में सबसे आगे है, जहाँ 900-950 करोड़ रुपए मूल्य की 1,400 से अधिक संपत्तियां कुर्क की गई हैं।
- **अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में कानूनी संदर्भ:**
  - **भू-राजस्व संहिता** की **धारा 165** मध्य प्रदेश के **अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों को बेचने पर रोक लगाती है।**
  - आदिवासी, ज़िला कलेक्टर की मंज़ूरी के बिना अधिसूचित और गैर-अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में **गैर-आदिवासियों को भूमि पट्टे पर दे सकते हैं।**
  - लाभकारी मालिकों ने **इस प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए जनजातीय प्रतिनिधियों के माध्यम से** भूमि खरीद ली और फिर उसे रिसॉर्ट निर्माण के लिये पट्टे पर दे दिया।
- **बाघ अभयारण्यों ( टाइगर रिज़र्व ) में बेनामी संपत्ति कुर्क करने का महत्त्व:**
  - ये कुर्क या संलग्नक **बाघ अभयारण्यों** के भीतर बेनामी लेनदेन पर एक दुर्लभ कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करती हैं।
  - बाघ अभयारण्यों और **वन्यजीव अभयारण्यों** के निकट आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थित अन्य रिसॉर्ट भी इसी प्रकार के उल्लंघन के लिये जाँच के दायरे में हैं।

### पेंच टाइगर रिज़र्व ( PTR )

- PTR **मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का संयुक्त गौरव है।**
- **यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा ज़िलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर** पर स्थित है तथा **महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में** एक अलग अभयारण्य के रूप में विस्तृत है।
  - इसे 1975 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा **राष्ट्रीय उद्यान** घोषित किया गया तथा वर्ष 1992 में इसे **बाघ अभयारण्य** का दर्जा दिया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- हालाँकि, PTR **मध्य प्रदेश को 1992-1993 में यही दर्जा दिया गया था।** यह **मध्य हाइलैंड्स के सतपुड़ा-मैकाल पर्वतमाला के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में से एक है।**

- यह भारत के **महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों ( IBA )** के रूप में अधिसूचित स्थलों में से एक है।
- IBA बर्डलाइफ इंटरनेशनल का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विश्व के पक्षियों और उनसे संबंधित विविधता के **संरक्षण के लिये IBA के वैश्विक नेटवर्क की पहचान, निगरानी और सुरक्षा करना है।**

### बेनामी लेनदेन ( निषेध ) संशोधन अधिनियम 2016

- इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम (बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988) में संशोधन किया गया तथा इसका नाम बदलकर **बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 कर दिया गया।**
- **अधिनियम में बेनामी लेनदेन को ऐसे लेनदेन के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ:**
  - कोई संपत्ति **किसी व्यक्ति के पास है या किसी व्यक्ति को हस्तांतरित है,** लेकिन **उसका प्रावधान या भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है।**
  - लेन-देन किसी **काल्पनिक नाम से किया गया है**
  - मालिक को संपत्ति के **स्वामित्व की जानकारी नहीं है या वह इसकी जानकारी से इनकार करता है,**
  - संपत्ति के लिये प्रतिफल प्रदान करने वाले व्यक्ति का **पता नहीं चल पा रहा है।**

## NMDC द्वारा टाइगर रिज़र्व के पास हीरा उत्खनन

### चर्चा में क्यों ?

**भारत की राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ( NMDC ) पन्ना टाइगर रिज़र्व** के निकट एक खदान से 6,500 **कैरेट हीरे** निकालने की योजना बना रही है , जिनकी कीमत **3.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर** है।

### प्रमुख बिंदु

- **खनन कार्यों में विलंब:**
  - NMDC को **पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में देरी का सामना** करना पड़ा जिसके कारण मध्य प्रदेश में पन्ना खदान में खनन कार्य तीन वर्षों से अधिक समय तक रुका रहा, क्योंकि यह **टाइगर रिज़र्व** के निकट है।
  - **सर्वोच्च न्यायालय** ने बाद में NMDC को कुछ **दिशानिर्देशों के अधीन खनन कार्य** फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी, जिससे कंपनी खदान में अपना काम फिर से शुरू कर सकी।
- **हीरा निष्कर्षण:**
  - परिचालन पुनः शुरू करने के बाद से **NMDC ने 3,700 कैरेट हीरे निकाले हैं,** जिनकी कीमत **1.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर** है।
- **पन्ना खदान के बारे में:**
  - पन्ना खदान 275.96 हेक्टेयर (681.91 एकड़) में फैली है और इसका संचालन 1970 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था।
  - यह भारत की **एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मध्य प्रदेश में हीरा खनन:**
  - मध्य प्रदेश **एशिया के प्रमुख हीरा खनन क्षेत्रों** में से एक है।
  - वैश्विक और घरेलू कंपनियों को पन्ना रिज़र्व के पास **बंदर परियोजना** में हीरे के खनन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

## पन्ना टाइगर रिज़र्व

- **परिचय:**
  - उत्तरी मध्य प्रदेश में **विंध्य पर्वत शृंखला** में स्थित है।
  - **542 वर्ग किमी क्षेत्र** में फैला हुआ है।
  - **बुंदेलखंड क्षेत्र** का एकमात्र **टाइगर रिज़र्व।**
  - **वर्ष 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत** भारत सरकार द्वारा इसे **टाइगर रिज़र्व घोषित** किया गया।
- **परिदृश्य:**
  - इस रिज़र्व की **स्थलाकृति 'टेबल टॉप'** है।
  - इसमें **विस्तृत पठार और घाटियाँ** शामिल हैं।
  - **केन नदी** रिज़र्व से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है।
  - इस क्षेत्र में **दो हज़ार वर्ष पुराने शैलचित्र** भी मौजूद हैं।
- **वनस्पति:**
  - **शुष्क पर्णपाती वनों** तथा घास के मैदानों का प्रभुत्त्व।
  - उत्तर में यह अभ्यारण्य **सागौन के वनों** से घिरा हुआ है ।
  - पूर्व में इसकी सीमा **सागौन-करधई मिश्रित वनों** से लगती है।
- **जीव-जंतु:**
  - यह रिज़र्व **बाघों, भालूओं, तेंदुओं और धारीदार लकड़बग्घों** की महत्त्वपूर्ण आबादी का घर है।
  - अन्य उल्लेखनीय मांसाहारियों में **गीदड़, भेड़िये, जंगली कुत्ते, जंगली बिल्लियाँ और चित्तीदार बिल्ली बिल्ली** शामिल हैं।
  - उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम तक फैली **विंध्य पर्वत शृंखलाएँ** वन्य जीवों की पूर्वी और पश्चिमी आबादी को जोड़ने में मदद करती हैं।

# स्थानांतरण नीति ( संशोधन ), 2025

## चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश में राज्य और ज़िला स्तर पर तबादलों पर फिलहाल रोक है। सरकार ने **24 जून, 2021** को इन स्तरों के लिये **स्थानांतरण नीति ( संशोधन ), 2025 जारी की थी।**

- **मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव** की अध्यक्षता में **महेश्वर** में **हुई कैबिनेट बैठक** में इस संशोधन को मंज़ूरी दी गई।

## मुख्य बिंदु

- राज्य सरकार ने अब **स्थानांतरण नीति ( संशोधन ), 2025** की **धारा 9 में संशोधन किया है,** ताकि मंत्रियों को असाधारण परिस्थितियों में स्थानांतरण करने की अनुमति मिल सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थानांतरण नीति ( संशोधन ), 2025** जारी की।

- **स्थानांतरण के लिये मंत्रिस्तरीय प्राधिकार:**
  - अब उच्च प्राथमिकता वाले मामलों के लिये **मुख्यमंत्री कार्यालय** से **प्रशासनिक अनुमोदन के बाद सचिव स्तर पर अनुमोदन किया जा सकेगा।**
- **विभागीय विवेकाधिकार:**
  - ऐसे मामलों में जहाँ विभागीय नीति के अनुसार स्थानांतरण अनुचित माना जाता है, **विभाग सचिव को विभाग के मंत्री** से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
  - इसके बाद स्थानांतरण प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन के लिये स्थानांतरण के कारणों सहित **अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव को भेजा जाएगा।**
- **स्थानांतरण की शर्तें:**
  - स्थानांतरण केवल **विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है,** जैसे:
    - **स्वास्थ्य कारण: कैंसर,** स्ट्रोक, **दिल का दौरा** आदि जैसी गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों के कारण स्थानांतरण प्रदान किया जा सकता है।
    - **न्यायालय के आदेश:** यदि न्यायालय के आदेश द्वारा अनिवार्य किया गया हो, तो स्थानांतरण की प्रक्रिया की जाएगी, बशर्ते कि कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई लंबित न हो।
    - **गंभीर शिकायतें या अनियमितताएँ:** यदि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध गंभीर शिकायतें या लापरवाही पाई जाती है तथा विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
    - **आपराधिक मामले:** यदि कर्मचारी **लोकायुक्त** या पुलिस द्वारा दर्ज किसी आपराधिक मामले में संलिप्त है और जाँच में कोई बाधा नहीं है, तो स्थानांतरण किया जा सकता है।
    - **रिक्ति पूर्ति:** ऐसे मामलों में जहाँ किसी कर्मचारी का पद निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है और विभाग उस पद को भरना आवश्यक समझता है, तो स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है।
- **संशोधन का महत्त्व:**
  - स्थानांतरण नीति का उद्देश्य प्रक्रिया को **सुव्यवस्थित करना** तथा विशेष परिस्थितियों पर विचार करते हुए **निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।**
  - यह संशोधन स्वास्थ्य संबंधी स्थानांतरण या शिकायतों और आपराधिक मुद्दों जैसे अत्यावश्यक और गंभीर मामलों को निपटाने में अधिक **अनुकूलता प्रदान करता है।**
  - यह सुनिश्चित करके कि स्थानांतरित पद पर रिक्तियाँ आनुपातिक हैं, नीति का उद्देश्य विभागों और स्थानों में **संतुलन बनाए रखना है।**
  - **स्थानांतरण नीति में** यह संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानांतरण उचित परिश्रम के साथ किये जाएँ, खासकर जब स्वास्थ्य समस्याओं, कानूनी मामलों या विभागीय अनियमितताओं जैसे संवेदनशील मुद्दों को संबोधित किया जाता है। यह सरकारी संसाधनों के **कुशल प्रबंधन की भी अनुमति देता है,** जबकि तत्काल या विशेष मामलों के लिये अनुकूलता प्रदान करता है।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :